रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 1971/आश्विन 5, 1893
No. 178] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 1971/ASVINA 5, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour & Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September 1971

G.S.R. 1451.—In exercise of the powers conferred by section 3 read with section 7 of the Coal Mines Provident Fund, Family Pension and Bonus Schemes Act, 1948 (46 of 1948) and sub-section (i) of section (2) of the Central Labour Laws (Extension to Jammu and Kashmir) Act 1970 (51 of 1970), the Central Government is pleased to extend to the coal mines in the State of Jammu and Kashmir, the Coal Mines Provident Fund Scheme published with the notification of the Government of India in the late Ministry of Labour No. PF.15(5)/48, dated the 11th December, 1948, subject to the following modifications, namely:—

In the said scheme—

1. for sub-paragraphs (ii), (iii) and (iv) of paragraph 1 the following shall be substituted, namely:—

"(ii) It shall apply to all coal mines in Jammu & Kashmir.

(iii) The provisions of this Scheme shall come into force with effect from the 1st October, 1971";

2. in paragraph 2, after sub-clause (iii) of clause (g) the following sub-clause shall be added, namely:—

"(iv) who is an employee of the Central Government or any State Government and is on deputation to a coal mine covered under this Scheme on foreign service terms.";

3. in paragraph 25B for sub-paragraph (1) the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) for the purpose of paragraph 25A any kind of leave with full pay, other than maternity leave, granted by the employer, days of lay-off as defined in clause (kkk) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, days of idleness caused by any lock out which is illegal under section 24 of the Industrial Disputes Act 1947 and days of absence from work on account of compulsory attendance in a court of law shall count as days of attendance.";

4. in paragraph 26 for sub-paragraph (2) the following paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) the election referred to in sub-paragraph (1) shall be made in Form C annexed here to as soon as possible after he qualifies for the membership of the Fund and shall be sent by the employer by registered post to the Regional Commissioner so as to reach him within 15 days from the end of the quarter in which he qualifies for membership of the Fund under paragraph 25A.";

5. paragraphs 31, 32 and 33 shall be omitted;

6. in paragraph 33A for sub-paragraphs (3) and (4) the following sub-paragraphs shall be substituted, namely:—

"(3) Every payment on account of Provident Fund contributions and administrative charges under sub-paragraph (2) shall be made by means of separate Crossed Account Payee Cheques drawn in favour of the Coal Mines Provident Fund Account No. 1 (J & K) and Coal Mines Provident Fund Account No. III (J & K) respectively:

Provided that where payment is made by means of cheque on a Bank situated in a place other than Jammu, bank collection charges shall be added to the amount of the cheque or remitted separately when so directed by the Regional Commissioner.

(4) Every employer shall forward to the Regional Commissioner, within 30 days of the close of the month a monthly consolidated statement in duplicate in such Form as the Commissioner may prescribe, showing recoveries made from the wages of each employee, the amount contributed by the employer in respect of each such employee, administrative charges paid by him and details of remittances made.";

7. paragraphs 34, 35, 37A, 38A and 50 shall be omitted;

8. for paragraph 50A, the following paragraph shall be substituted, namely:—

"50A. Transfer of Funds.—(1) All payments on account of refund of Provident Fund and advances under this Scheme shall be made out of Coal Mines Provident Fund Account No. 1 (J&K). If the balance in Coal Mines Provident Fund Account No. 1 (J&K) be at any time insufficient to make payments as aforesaid such sums as may be necessary shall be transferred by the Commissioner or such other officer as may be authorised in this behalf by the Board from time to time, from the Coal Mines Provident Fund Account No. 1.

(2) All expenses in connection with the administration of this Scheme in Jammu and Kashmir shall, subject to the provisions contained in paragraph 56, be paid out of Coal Mines Provident Fund Account No. III (J&K). If the balance in Coal Mines Provident Fund Account No. III (J&K) be at any time inadequate to meet the administrative expenses as aforesaid, such sums as may be considered necessary shall be transferred by the Commissioner or any other officer authorised in this behalf by the Board from Coal Mines Provident Fund Account No. 1 to the Coal Mines Provident Fund Account No. III (J&K).

(3) The balances in Coal Mines Provident Fund Account No. 1 (J&K) and Coal Mines Provident Fund Account No. III (J&K) in excess of such sum as may, from time to time, be specified by the Commissioner shall, at the end of each week, be transferred to the Coal Mines Provident Fund Account No. 1 maintained with the State Bank of India, Dhanbad for investment.

(4) The Coal Mines Provident Fund Account No. 1 (J&K) and the Coal Mines Provident Fund Account No. III (J & K) shall be operated by such officers as may be specified by the Commissioner from time to time.";

9. sub-paragraph (1) of paragraph 51 shall be omitted;

10. in paragraph 60, for sub-paragraphs (2), (3) and (4) the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) On receipt of the contribution card or cards of a member from his employer or employers at the end of the period of currency of the contribution card, the Regional Commissioner shall compare the entries made in the contribution card or cards with those made in the member's individual account in the Office of the Fund and shall rectify any discrepancy found in the entries.";

11. Schedules ('A' and 'B' and Forms B, N, P, P (revised) and S appended shall be omitted.

[No. 1(36)/65-PF.I.]

D. S. NIM, Jt. Secy.

श्रम और पनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर 1971]

सा० का० नि० 1451.—कोयला खान भविष्य निधि कुटुम्ब पेंशन और बोनस स्कीम अधिनियय 1948 (1 48 का 46) की धारा 7 के साथ पठित धारा 3 और केन्द्रीय श्रम विधि (जम्मू और कश्मीर तक विस्तारण) अधिनियम 1970 (1970 का 51) की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के भूतपूर्व श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या पी० एफ० 15(5)/48 तारीख 11 दिसम्बर 1948 द्वारा प्रकाशित कोयला खान भविष्य निधि स्कीम को जम्मू और कश्मीर की कोयला खानों पर निम्नलिखित उपान्तरों के अधीन रहते हुए विस्तारित करती है, अर्थात् :—

उक्त स्कीम में-

1. पैरा 1 के उप-परा (ii), (iii) और (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

"(ii) यह जम्मू और कश्मीर की सभी खानों पर लागू होगी ।

(iii) इस स्कीम के उपबन्ध 1 अक्तूबर, 1971 से प्रवृत्त होंगे ।"

2. पैरा 2 में, खण्ड (छ) के उपखण्ड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(iv) जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार का कर्मचारी है और इस स्कीम के अन्तर्गत आने वाली कोयला खान में अन्यत्र सेवा निबन्धनों पर प्रतिनियुक्ति पर है ।"

3. पैरा 25ख में, उप-पैरा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(1) पैरा 25क के प्रयोजन के लिए, प्रसूति छुट्टी के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की नियोजक द्वारा मंजूर की गई पूर्ण वेतन सहित छुट्टी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खण्ड (ढढढ) में यथा परिभाषित जबरी छुट्टी के दिन, ऐसी तालाबन्दी के कारण, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 24 के अनुसार अवैध है बेकारी के दिन और न्यायालय में अनिवार्य उपस्थिति के कारण काम से अनुपस्थिति के दिन, उपस्थिति के दिनों के रूप में गिन जायेंगे ।"

4. पैरा 26 में उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट निर्वाचन, निधि की सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के पश्चात्, ससे संलग्न प्ररूप ग में यथाशीघ्र किया जायेगा और नियोजक द्वारा प्रादेशिक आयुक्त को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज दिया जायेगा जिससे वह उन्हें उस तिमाही की समाप्ति के 15 दिन के अन्दर प्राप्त हो जाये, जिसमें [कि वह पैरा 25क के अधीन निधि की सदस्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है।"]

5. पैरा 31, 32 और 33 लुप्त कर दिये जायेंगे।]

6. पैरा 33क में, उप-पैरा (3) और (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:—

"(3) उप-पैरा (2) के अधीन भविष्य निधि अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों का प्रत्येक संदाय अलग-अलग क्रास लेखा आदाता चैकों द्वारा किया जायेगा जो क्रमशः कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या III (जम्मू और कश्मीर) के नाम जारी किये जायेंगे

परन्तु जहां सन्दाय चेक द्वारा ऐसे बैंक के नाम किया जाता है जो जम्मू से भिन्न किसी अन्य स्थान पर स्थित है, वहां बैंक वसूली-खर्चे चेक की राशि में जोड़ दिये जायेंगे या, यदि प्रादेशिक आयुक्त द्वारा ऐसा निदेश दिया जाये, अलग से भेज दिये जायेंगे।

(4) मास के अन्त के 30 दिन के अन्दर प्रत्येक नियोजक, आयुक्त द्वारा विहित प्ररूप में, एक समेकित विवरण, दो प्रतियों में, प्रादेशिक आयुक्त को भेजेगा जिस में प्रत्येक कर्मचारी की मजदूरी से की गई वसूलियां, नियोजक द्वारा ऐसे प्रत्येक कर्मचारी की बाबत अंशदान की रकम उसके द्वारा सन्दत्त प्रशासनिक प्रभार और प्रेषित रकमों के ब्यौरे दिये जायेंगे।"

7. पैरा 34, 35, 37क, 38क और 50 लुप्त कर दिये जायेंगे

8. पैरा 50क के स्थान पर निम्न पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"50क. निधियों का अन्तरण :]

(1) इस स्कीम के अन्तर्गत भविष्य निधि और अग्रिमों के लिए सभी सन्दाय कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या I (ज० और क०) में से किये जायेंगे। यदि किसी भी समय पूर्वोक्त की तरह सन्दाय करने के लिए कोयला खान

भविष्य निधि लेखा संख्या I (ज० और क०) में शेष रकम अपर्याप्त हो तो ऐसी राशियां, जो आवश्यक हों, आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित्त समय-समय पर प्राधिकृत किया जाये, कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या I से अन्तरित की जायेंगी ।

(2) जम्मू और कश्मीर में इस स्कीम के प्रशासन से सम्बन्धित सभी व्ययों का सन्दाय, पैरा 56 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या III (ज० और क०) में से किया जायेगा । यदि किसी भी समय पूर्वोक्त की तरह प्रशासनिक व्यय पूरा करने के लिए कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या III (ज० और क०) में शेष रकम अपर्याप्त हो, तो ऐसी राशियां, जो आवश्यक समझी जायें, आयुक्त या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे बोर्ड द्वारा स निमित्त समय-समय पर, प्राधिकृत किया जाये, कोयला खान भविष्य निधि लेखा सं० I से कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या III (ज० और क०) को अन्तरित की जायेंगी ।

(3) कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या I (ज० और क०) और कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या III (ज० और क०) में, ऐसी राशि से आधिक्य में शेष रकमें, जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, प्रत्येक सप्ताह के अन्त में, विनियोजन के लिए भारतीय स्टेट बैंक, धनबाद, द्वारा रखे गये कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या I में अन्तरित की जायेंगी ।

(4) कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या I (ज० और क०) और कोयला खान भविष्य निधि लेखा संख्या III (ज० और क०) का प्रचालन ऐसे अधिकारियों द्वारा किया जायेगा जो आयुक्त द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें ।"

9. पैरा 51 का उप-पैरा (1) लुप्त कर दिया जायेगा ।

10. पैरा 60 में, उप-पैरा (2), (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(2) अंशदान कार्ड के प्रचलन की अवधि के अन्त में, किसी सदस्य के अंशदान कार्ड या कार्डों के उसके नियोजक/नियोजकों से प्राप्त होने पर, प्रादेशिक आयुक्त,

अंशदान कार्ड या कार्डों में की गई प्रविष्टियों का मिलान, सदस्य के निधि के कार्यालय में रखे गये वैयक्तिक खाते में की गई प्रविष्टियों से करेंगे और प्रविष्टियों में पाये गये किसी भी फर्क को परिशोधित करेंगे ।

11. संलग्न अनुसूचियां 'क' और 'ख' और प्ररूप ख, ढ़, त, त (पुनरीक्षित) और जो को लुप्त कर दिया जायेगा ।

[संख्या 1(36)/65-पी०एफ०-1]

डी० एस० निमि, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 362] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 1, 1971/आषाढ़ 10, 1893
No. 362] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 1971/ASADHA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July 1971

S.O. 2499.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as "the Act"), declared on the 12th January, 1971, the All Jammu and Kashmir Plebiscite Front to be an unlawful association;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Act, constituted on the 28th January, 1971, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (hereinafter referred to as "the Tribunal"), consisting of Shri Justice Syed Murtaza Fazal Ali, Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Act, referred the issue of the declaration of the All Jammu and Kashmir Plebiscite Front as an unlawful association to the Tribunal on the 8th February, 1971, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for making the aforesaid declaration;

And whereas the Tribunal, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Act, made an Order confirming the declaration referred to above on the 15th June, 1971;